बिहार-सरकार
निबन्धन विभाग

पत्रांक नि०एस० 3-10591/2001 / 1872   पटना, दिनांक 12-9-01

प्रेषक,

श्री सरयुग प्रसाद प्रभाकर

सहायक निबन्धन महानिरीक्षक

बिहार, पटना ।

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव/सचिव

संस्था का नाम विकल्प फाउन्डेशन

ग्राम छोटकी डेल्हा । पो० आर० एम० एस०, गया

थाना .... जिला गया ।

विषय:- अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित संस्था की स्मृति पत्र/नियमावली/ आम सभा का प्रस्ताव एवं प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत की जाती है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

1-9-01

(सरयुग प्रसाद प्रभाकर)

सहायक निबन्धन महानिरीक्षक

बिहार, पटना ।

टंकित - ब० प्र०

24-07-01

10 Rs.

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१०रु. TEN RUPEES 10RS

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR
बिहार

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

हस्ता. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

का

स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम : " विकल्प फाउन्डेशन " होगा ।

2. निबंधन संस्था कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय-मुहल्ला-छोटकी डेल्हा, पो0-आर0एम0एस0, गया, जिला- गया (बिहार) में रहेगा, किन्तु कार्यालय स्थान परिवर्तन करने की सूचना निबंधन विभाग को 15 दिनों के अन्दर दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र : इस संस्थाके कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार एवं झारखण्ड राज्य होगा ।

4. उददेश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उददेश्य होगें :-

(क) संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय के स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी प्रकार के टीकाकरण का संचालन करना एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को पौष्टिक आहार एवं दवा का वितरण करना । जच्चा बच्चा, टीकाकेन्द्र की स्थापना कर एड्स एवं अन्य महामारी, आदि के बारे में प्रचार प्रसार करना ।

(ख) प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे महामारी, आगजनी, बाढ़, भूकम्प, एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय लोगों के लिए राहत कार्य करेगी ।

(ग) गाँवो में आपसी भाईचारे सदभावना जागृत करने हेतु लोगों को संगठित करना एवं गाँवों के प्रति विकास का कार्यक्रम संचालन करना ।

(घ) संस्था द्वारा निरक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाना तथा प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा एवं शिशु शिक्षा आदि की स्थापना करना एवं बच्चों के लिए बालवाड़ी, एवं महिलाओं के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन करना एवं प्रशिक्षण देना ।

(ङ) संस्था बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने के उददेश्य से सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकारी, रंगाई, पेन्टिंग, स्वेटर बुनाई, कालीन बुनाई की जानकारी देने का प्रयास करेगी एवं प्रशिक्षण देकर उसे लाभान्वित करेगी ।

(च) संस्था बेरोजगारो को लघु उधोग पर आधारित कार्यक्रम जैसे मोमबत्ती, अगरवत्ती, दियासलाई, सेवई, अचार, जेम, जैली, [illegible], पापर, बड़ी, चटना, बाँस की टोकरी [illegible]

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL REGISTRATION निबंधन बिहार BIHAR

(छ) संस्था कृषि विकास के लिये नहर, तालाब, कुआँ, आहर, पोखर, आदि बनाना तथा उपजाउ जमीन के लिये अच्छे किस्म की बीज, खाद कीटनाशक दवा और आधुनिक तौर पर बने हुए औजारो की आपूर्ति करने की व्यवस्था करना तथा उसर एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रशिक्षण देना ।

(ज) शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का प्रशिक्षण दिलवाने की समुचित व्यवस्था करना तथा कम्प्यूटर का भी प्रशिक्षण देना।

(झ) ज्ञान विकास हेतु पुस्तकालय की स्थापना करना तथा गरीब एवं असहाय बच्चों के पठन-पाठन हेतु पुस्तक, मैगजीन, पत्र (पत्रिकाओं) की व्यवस्था तथा प्रकाशन करना ।

(ट) नशीले पदार्थों एवं नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाना तथा उनसे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों का विस्तार पूर्वक प्रचार प्रसार करना ।

(ठ) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा हेतु शौचालय, एवं कपाट से संबंधित सभी कार्यों को करेगी ।

(ड) कामकाजी महिलाओं को रहने हेतु होस्टल, अवकाश गृह, पालनाघर अनाथ गृह, की व्यवस्था करना ।

(ढ) पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने हेतु कार्यक्रम संचालित करना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करना एवं उर्जा के संरक्षण हेतु लोगो को जागरुक करना ।

(ण) दहेज प्रथा, नशाखोरी, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोगो को जागरुक कर

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार

1. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता पेशा एवं पदनाम नीचे दिया गया है, वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है

क्रम	नाम पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	डा० शिवनन्दन प्रसाद पिता-स्व० बाठो महतो	ग्राम-पो०-कुजापी जिला- गया ।	चिकित्सा	अध्यक्ष
2.	श्री चन्द्र शेखर आजाद पिता-श्री गोपाल प्रसाद	ग्राम -पहराधाँ, पो०-भीमपुर मखियावाँ जिला- गया ।	समाजसेवा	सचिव
3.	श्रीमति माला सिन्हा पति-प्रो० अच्युतानन्द सिन्हा	ग्राम-पो०-मकरपुर जिला- जहानाबाद ।	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष
4.	श्री मोहन सिंह पिता-श्री रामरत्न महतो	ग्राम-पो०-सेयाप जिला- औरंगाबाद ।	समाजसेवा	सदस्य
5.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी पति-श्री यदुनन्दन प्रसाद	ग्राम-चिरी, पो०-भरथु जिला- जहानाबाद ।	समाजसेवा	सदस्य
6.	श्री शशि भूषण पासवान पिता-श्री विजय पासवान	ग्राम-पो०-पोस्टमैटम रोड जिला-नवादा ।	समाजसेवा	सदस्य
7.	श्रीमती देवी पिता-स्व० रामेश्वर प्रसाद	ग्राम-पो०-मखदुमपुर जिला- जहानाबाद ।	समाजसेवा	सदस्य

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR

. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम पता पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार इस संस्था में परिणत होने तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है ।

क्रमांक	नाम पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	डा० शिवनन्दन प्रसाद पिता-स्व० बाठो महतो	ग्राम-पो०-कुजापी जिला- गया	चिकित्सा	Shivanandan Prasad
2.	श्री चन्द्र शेखर आजाद पिता-श्री गोपाल प्रसाद	ग्राम-पड़रावाँ, पो०-भीमपुर मखियावाँ, जिला- गया ।	समाजसेवा	चन्द्रशेखर आजाद
3.	श्रीमति माला सिन्हा पति-प्रो०-अच्युतानन्द सिन्हा	ग्राम-पो०-मकरपुर जिला- जहानाबाद ।	समाजसेवा	माला सिन्हा
4.	श्री मोहन सिंह पिता-श्री रामरत्न महतो	ग्राम-पो०-सेयाप जिला- औरंगाबाद	समाजसेवा	मोहन सिंह
5.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी पति-श्री यदुनन्दन प्रसाद	ग्राम-चिरी, पो०-भारथु जिला- जहानाबाद ।	समाजसेवा	प्रतिमा कुमारी
6.	श्री शशि भूषण पासवान पिता-श्री विजय पासवान	ग्राम-पो०-पोस्टमेटम रोड जिला- नवादा ।	समाजसेवा	Shashi Bhushan
7.	श्रीमती देवी पिता-स्व० रामेश्वर प्रसाद	ग्राम-पो०-मखदुमपुर. जिला- जहानाबाद ।	समाजसेवा	देवी

चन्द्रशेखर आजाद

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है ।

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR

हस्ताक्षर ... 9.3.01
पता एवं मुहर
सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी
गया

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है ।

विकल्प फाउन्डेशन

की

नि य मा व ली

1. संस्था का नाम : " इस संस्था का नाम " विकल्प फाउन्डेशन " होगा

2. परिभाषा:

(क) संस्था से अभिप्राय है : " विकल्प फाउन्डेशन " होगा ।

(ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

(ग) पदा० से अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय है : 1 ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।

(ङ) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3. सदस्यता:

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हो वे संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 21/-रुपया प्रवेश शुल्क एवं 11/-रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4. सदस्यता की समाप्ति :

निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी -

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

(ख) पागल या मृत्यु होने पर ।

(ग) सदस्यता शुल्क नही देने पर ।

(घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

(ङ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

(च) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर ।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :

(क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित (7) सात सदस्य होगें ।

(ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा ।

(ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा निवृत सदस्य पुन: चुने जा सकते है ।

(घ) यदि किसी कारणवश समिति मे कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुना कराना होगा । मनोनीत सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेगें जिस पद के लि

6\. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होगा ।
ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना
ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य सम्पादित करना ।
घ) उपशाखा का निर्माण करना ।
ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श करना ।
च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

7\. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।
ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8\. बैठक :-

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।
ख) आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी ।
ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।
घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9\. प्रार्थित बैठक :-

क) 1/3 सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10\. बैठक की सूचना :-

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी ।
ख) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
घ) आम सभा की आवश्यक बैठक 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।
ङ) बैठक की सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।

11\. कोरम :-

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

12· पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

ग) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :-

क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ङ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करना ।

च) अध्यक्ष को राय से अन्य कार्य करना ।

छ) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के के आदेश कार्यकारिणी समिति की सलाह पर करना ।

ज) संस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :-

क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग) संस्था के कोष को किसी निबंधित बैंक/डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना ।

13· आय का श्रोत :-

क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख) सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान सहायता ।

ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से ।

14· कोष का संचालन :-

संस्था की सभी राशियाँ संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

15· निधि का अंकेक्षण :-

क) संस्था के आय व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा ।

शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

16· पंजी का निरीक्षण:-

संस्था की सभी पंजियां निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहां कोई भी सदस्य या सरकारी अधिकारी सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17· नियमावली में संशोधन:-

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

18· कानूनी कार्रवाई :-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19· विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था:-

क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग) संस्था के विघटनोपरान्त जो चल या अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION ... BIHAR

विकल्प फाउन्डेशन
246/2001-2002
स्मृति पत्र, नियमावली
एवं आम सभा का प्रस्ताव
की सच्ची प्रतिलिपि

निबंधित

वास्ते नि०म०

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।